

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरु

पीठासीन अधिकारी :- अमीलाल यादव, आर.ए.एस.

दाद संख्या :- 21/2024

सुवटीदेवी पत्नि ओमप्रकाश जाति जाट निवासी ग्राम लुहारा तहसील बीदासर जिला चूरु
वादीनी

बनाम

1. भवानीसिंह पुत्र केशरीसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम लुहारा तहसील बीदासर जिला चूरु
2. कॉर्पोरेशन बैंक शाखा सुजानगढ जिला चूरु
3. उप पंजियक अधिकारी बीदासर जिला चूरु
4. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरु

प्रतिवादीगण

दावा विभाजन, चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्ति बाबत।

उपस्थित :-


मनोज गोदारा एडवोकेट वास्ते वादीनी

:- निर्णय :-

दिनांक:- 03-12-2024

वादपत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि वादीनी व प्रतिवादी संख्या 1 एक के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के खेत खसरा संख्या 290 दो सो नब्बे तादादी 0.4805 जीरो दशमलव चार आठ जीरो पांच हेक्टेयर, खसरा संख्या 708/699 सात सो आठ बट्टा छः सो निनानवे तादादी 5.6656 पांच दशमलव छः छः पांच छः हेक्टेयर कुल किता 2 दो कुल रकबा 6.1461 छः दशमलव एक चार छः एक हेक्टेयर भूमि वाके रोही ग्राम लुहारा तहसील बीदासर जिला चूरु में स्थित है जिसमें वादीनी 20/81 बीस बट्टा इक्यासी हिस्सा भूमि की खातेदार कृषक है। जिसे आगे वादगत भूमि कहा गया है। काफी समय पूर्व ही वादगत भूमि का मौका पर मौखिक विभाजन किया हुआ है। मुताबिक मौखिक विभाजन के वादीनी की 20/81 बीस बट्टा इक्यासी हिस्सा भूमि सम्पूर्ण खसरा संख्या 708/699 सात सो आठ बट्टा छः सो निनानवे तादादी 5.6656 पांच दशमलव छः छः पांच छः हेक्टेयर में से पूर्वी साईड में आई हुई है। मौखिक विभाजन के मुताबिक वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक अपने-अपने हिस्से की भूमि को काश्त करते आ रहे है। वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक का खान-पान, रहन-सहन अलग-अलग है।





उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरु)

वादगत भूमि की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से अंकित होने के कारण वादीनी को सरकारी लाभांश प्राप्त करने में भारी परेशानी उठानी पड रही है। इसलिए वादीनी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर अपने हिस्से की खातेदारी भूमि राजस्व रेकार्ड में पृथक अंकित करवाकर लगान का विभाजन कराये। जिसके लिए वादीनी को कानूनी अधिकार प्राप्त है। वादीनी ने दिनांक 10.04.2024 को प्रतिवादी संख्या 1 एक से मौखिक रूप से निवेदन किया कि वादगत भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर अपने-अपने हिस्से की खातेदारी भूमि पृथक-पृथक राजस्व रेकार्ड में अंकित कराये। प्रतिवादी संख्या 1 एक साफ इनकार हो गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 एक ने वादीनी को ऐलानीयां तोर पर धमकियां दी कि वोह अच्छी किश्म की भूमि पर जबरन बलपूर्वक कब्जा करके वादीनी को बेदखल करेगा तथा किसी भूमाफियों को विक्रय करके अच्छी किश्म की भूमि का कब्जा करवाकर ही रहेगा, जबकि ऐसा करने का प्रतिवादी संख्या 1 एक को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 एक अपने गैरकानूनी कृत्य में सफल हो गया तो वादीनी को न केवल अपूर्तिय क्षति होगी बल्कि भयंकर असुविधा भी होगी। इसलिए वादीनी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय से चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त कर प्रतिवादी संख्या 1 एक को वर्जित कराये कि वोह वादीनी को अपनी हिस्सा भूमि से जबरन बलपूर्वक कब्जा करके बेदखल नहीं करें और जब तक विधिवत रूप से विभाजन नहीं हो जाता तब तक किसी हिस्से या अंश को विक्रय हस्तांतरण रहन आदि नहीं करें ओर ना ही वादीनी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधायें रूकावटें आदि पैदा करें या किसी अन्य से करवायें। वादगत खेत वादीनी के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का होने से वादीनी को वादाधार प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 1 एक की ऐलानियां धमकियां से वादीनी को वाद हेतुक प्राप्त है। राज्य सरकार भू धारक है जो वाद में आवश्यक पक्षकार है। कानूनी आपतियों को मध्य नजर रखते हुए राजस्थान सरकार को वाद में प्रतिवादी संख्या 04 चार के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है। वाद वादीनी संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन एवं चिर निषेधाज्ञा डिक्री प्राप्ति का है। वादगत खेत रोही ग्राम लुहारा तहसील बीदासर जिला चूरु में स्थित है इसलिए इस वाद की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। वाद वादीनी निर्धारित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

आदि-आदि अंकित कर वाद पत्र पेश किया।




उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरु)

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वाद में पेरोकार राज ने राजहित नहीं होना अंकित किया है। वादी वकील की बहस सुनी गई। वादी वकील ने दौराने बहस दावे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वाद को डिकी करने का निवेदन किया।

वादी वकील की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जो अभिवचन वादीनी द्वारा वाद में किए गए है उसका विरोध इस न्यायालय में किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया है। इस कारण इस वाद में तनकीयात कायम नहीं की गई। वादीनी कब्जा काशत के आधार पर वादगत भूमि में अपनी हिस्सा भूमि का विभाजन करवाना चाहती है जो न्यायोचित प्रतीत होता है।

—: आदेश :-

अतः वादीनी का वाद विभाजन का स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक डिकी इस प्रकार जारी की जाती है कि वादगत भूमि रोही ग्राम लुहारा खसरा संख्या 290, 708/699 तादादी क्रमशः 0.4805, 5.6656 हेक्टेयर कुल कित्ता 2 कुल रकबा 6.1461 हेक्टेयर वादीनी की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें वादीनी का 20/81 हिस्सा है। वादीनी की 20/81 हिस्सा भूमि सम्पूर्ण खसरा संख्या 708/699 तादादी 5.6656 हेक्टेयर में पूर्वी साईड की है। तहसीलदार बीदासर से वादीनी की 20/81 हिस्सा भूमि का कब्जा काशत अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे। इस हेतु प्रारम्भिक डिकी जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 08/12/2024 को सरे इजलास सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

प्रारम्भिक डिक्री व मुकदमें इब्दादाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी बीदासर व इजलास अमीलाल यादव, आर.ए.एस.
सुवटी बनाम भवानीसिंह आदि


दावा विभाजन, चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्ति बाबत।

मुकदमा नं:- 21/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कर्तई रु-ब-रु.....हाजरी श्री मनोज गोदारा वकील वास्ते वादी भिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है व प्रारम्भिक डिक्री दी जाती है कि वादगत भूमि रोही ग्राम लुहारा खसरा संख्या 290, 708/699 तादादी कमश: 0.4805, 5.6656 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 6.1461 हेक्टेयर वादीनी की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें वादीनी का 20/81 हिस्सा है। वादीनी की 20/81 हिस्सा भूमि सम्पूर्ण खसरा संख्या 708/699 तादादी 5.6656 हेक्टेयर में पूर्वी साईड की है। तहसीलदार बीदासर से वादीनी की 20/81 हिस्सा भूमि का कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

चीज.....मुबलिंग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक.....को अदा करें।

बसबा मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 03/12/2024



दस्तखत
ओहदा (रुप)

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकें का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।



उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (बुरु)